प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक	प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र सैन	अप्रार्थी सं. 1
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2
4. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों	अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/01/2026

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पत्र व्यवहार हेतु पंजीकृत एवं प्रमाणित पता शीर्षक प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि चल 9 एल. जी. डब्ल्यू. पटवार हल्का हसरावांवाला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा उपखण्ड–पीलीबंगा के खाता संख्या 57/30 व 32/26 सम्वत् 2073–2076 में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लिये पत्थर लाईन 290 पर पत्थर नंबर 27/289 (9) के किला नंबर 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम स्वीकृत रास्ता है तथा पत्थर नंबर 26/290 (13) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में उत्तर से दक्षिण स्वीकृत रास्ता है लेकिन यह रास्ता परस्पर चिपता हुआ नहीं है व अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 26/289 (8) के किला नंबर 25 में दक्षिणी व पूर्वी कोने पर रास्ता स्वीकृत नहीं होने से उक्त मंजूर शुदा रास्ता से आवागमन नहीं हो सकता, इस कारण प्रार्थीगण को पत्थर नंबर 26/289 (8) के किला नंबर 25 में दक्षिणी व पूर्वी कोने पर रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है तथा प्रार्थीगण की भूमि के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग (Alternative way) भी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों के संबंध में विवरण निम्नलिखित है –

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

(1.) प्रार्थीगण का नाम– आयु–पता एवं कृषि भूमि का विवरण –

1 –जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री चन्द सिंह, आयु 80 वर्ष

2– गुरमीत सिंह आयु 47 वर्षपुत्रगण श्री गुरमेल सिंह

3– इकबाल सिंह आयु 45 वर्ष

जाति जटसिख, निवासीगण वार्ड नंबर 1, सरावांवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

कृषि भूमि का विवरण –

(क) प्रार्थी संख्या 1 की भूमि–

चक नंबर	पत्थर नंबर /मु0नं0	किला नंबर	तादादी
9 एलजीडब्ल्यू	28/288(3)	2, 9, 12, 19, 22	=1.265 है0
	28/289(10)	9, 12, 19, 22	=1.012 है०
		कुल	= 2.277 है०

प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एल.जी.डब्ल्यू. खाता संख्या 57/30 सम्वत् 2073–2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

(ख) प्रार्थीगण सख्या 2 व 3 की भूमि –

चक नंबर	पत्थर नंबर/ मु0नं0	किला न.	तादादी
9 एलजीडब्ल्यू	28/288 (3)	3, 8, 13, 18, 23	= 1.265 है०
	28/289 (10)	10, 11, 20, 21	=1.012 है०
		कुल	= 2.277 है०

प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एल. जी.डब्ल्यू. खाता संख्या 32/26 सम्वत् 2073–2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

2. अप्रार्थी संख्या 1 का नाम, आयु–पता व कृषि भूमि का विवरण कशमीर सिंह पुत्र श्री बंता सिंह आयु 53 वर्ष जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 2 सरावांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

चक नंबर	पत्थर नंबर /मु०नं०	किला नंबर	तादादी
9 एलजीडब्लयू	26/289 (8)	15 से 25	= 2.783 है0
		कुल	= 2.783 है0

प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एल. जी. डब्ल्यू. खाता संख्या 11/11 सम्वत् 2073–2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि व स्वीकृत रास्ता व खाला को दर्शाते हुये नजरी नक्शा संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता स्वीकृत किये जाने के कारण व आधार – यह कि चक 9 एल. जी.डब्ल्यू. में पत्थर नंबर 26 / 290 (13) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी सिरे पर 2–2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता है व इसी प्रकार पत्थर नंबर 27/289 (9) के किला नंबर 21 से 25 में दक्षिणी सिरे पर 2–2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता है। यह दोनों रास्ते मौका पर चालू है लेकिन इन दोनों रास्तों का मिलान आपस में नहीं हो रहा है लेकिन प्रार्थीगण इन मंजूर शुदा रास्तो से होते हुए

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि चक 9 एल. जी. डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 26/289 (8) के किला नंबर 25 में दक्षिणी–पूर्वी कोना से होते हुए आवागमन जारी रखे हुये है तथा किला नंबर 25 में स्वीकृत गैरमुमकिन खाला पर किला नंबर 25 के दक्षिणी कोने पर चालू रास्ता की सीध में पुलिया बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त किला नंबर 25 में दक्षिणी–पूर्वी कोने पर राजस्व अभिलेख में रास्ता स्वीकृत न होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा पैदा करता है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 9 एल. जी. डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 26/289 (8) के किला नंबर 25 में दक्षिणी–पूर्वी कोना पर 162–162 फीट अर्थात् 0.0025 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है । यह रास्ता स्वीकृत फरमाया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा यह रास्ता स्वीकृत नहीं होने से उपरोक्त वर्णित मंजूर शुदा रास्ते आपस में मेल नहीं खाते। प्रार्थीगण को इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है । प्रस्तावित रास्ता को नजरी नक्शा में लाल रंग की डोटेड लाईन से दर्शाया गया है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से अर्सा एक सप्ताह पूर्व उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवा देने का आग्रह करने पर उसके द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवाने के अधिकारी है तथा इस रास्ता के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो 2/–रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 9 एल. जी. डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा के पत्थर नंबर 26/289 (8) के किला नंबर 25 में दक्षिणी–पूर्वी कोना पर 161/2–161/2 फीट अर्थात् 0.0025 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करने के आदेश फरमाये जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 की ओर से निम्न प्रकार है –यह कि प्रार्थना पत्र के शीर्षक में वर्णित पता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नही होने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन की प्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। शेष कथन असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है, क्योकि प्रार्थी स.1 की उपचरण क में वर्णित कृषि भूमि प.न. 28/288 (3) के किला न. 2, 9, 12, 19, 22 व प. न.28/289 (10) के किला न.9, 12, 19, 22 कुल 2977 हैक. एवं उक्त दफा की उपचरण ख में प्रार्थी स.2 व 3 की वर्णित कृषि भूमि प.न. 28/288 (3) के किला न.3, 8, 13, 18, 23 व प.न. 28/289 (10) के किला न. 10, 11, 20, 21 की कुल 2.277 हैक. कृषि भूमि में आवागमन हेतू प.न.28/288 (3) के किला न. 1 ता 5 में उतर की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर स्वीकृतशुद्धा रास्ता है जो आगे जाकर मुख्य सड़क में जाकर मिलता है और उक्त स्वीकृतशुद्धा रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहे है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गर्ज से व रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता नही होने के पश्चात् भी केवल मात्र सुविधाजनक दृष्टिगत हेतू मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि प.न. 26/289 (8) के किला न. 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है, जो विधिविरूद्ध होने के का[illegible] कृषि भूमि को मंजूरशुद्धा रास्ता होने के पश्चात् भी मिथ्या तथ्यों के आधार प[illegible]स्ता [illegible]वीकृत किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दफा की उपचरण (II) में मिन [illegible] कृषि भूमि प.न. 26/289 (8) के किला न.15 से 25 की तादादी 2.783 हैक. भूमि में से [illegible]न प्रार्थी के नाम वर्तमान में 1.265 हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व शेष 1.518 हैक. कृषि भूमि सुखमीतकौर पत्नी शुभदीपसिंह, जाति जटसिख के नाम से दर्ज है। यह कि दफा 2 की उपचरण(III) में वर्णित कथन प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर व लालच के वशीभूत होकर सुविधाजनक

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता प्राप्त करने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी जीतसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिजी है। इस सम्बंध में यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी जीतसिंह द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी स. 1 ने अपने सहखातेदार कशमीरसिंह पुत्र सुखदेवसिंह के साथ मिलकर उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स.1 की वर्णित कृषि भूमि चक 9 एलजीडब्ल्यु के प. न. 28/288 व 28/289 की कृषि भूमि में आवागमन हेतू प.नं. 28/288 के किला न. 1 ता 5 की उत्तरी तरफ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू पूर्व में एक प्रार्थना पत्र बअनवान जीतसिंह बनाम जगराजसिंह आदि प्रकरण स. 11/2015 प्रस्तुत किया था। जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2018 को प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 9 एलजीडब्ल्यु के प. न. 28/288 के किला न. 1 ता 5 प्रत्येक में 1–1 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी जगराजसिंह द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 09.05.2019 को रिमाण्ड कर दिया उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी जीतसिंह द्वारा माननीय रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर में अपील प्रस्तुत की जो विचाराधिन है, इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतू विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण विचाराधिन होने के पश्चात भी प्रार्थी जीतसिंह द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर व बिना कोई वाद कारण के हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है जो काबिली खारिजी है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतू अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो प. न. 29/290 के किला न. 21 ता 25 में सड़क आम है जिसके किला न. 11, 20, 21 के पश्चिम सींव की तरफ उत्तर से दक्षिण व उसके प.न. 28/290 के किला न. 10 ता 15 की दक्षिणी सींव से होते पूर्व से पश्चिम की ओर व उसके पश्चात किला न. 1 व 10 में पश्चिम सींव में उतर से दक्षिण होते हुए प.न. 28/289 के किला न. 21 के स्वीकृतशुदा रास्ता में जाकर मिलता है और उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहे है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता के सम्बंध में तहसीलदार राजस्व से मंगवाई गई मोका रिपोर्ट जो तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा दिनांक 29.09.2023 को पत्रावली में प्रस्तुत की गई थी उसके बिन्दू स.2 में भी यह विवरण अकिंत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि घरेलू रास्ता बनाकर काश्त की जा रही है। इससे स्पष्ट प्रतित होता है कि प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के पश्चात भी मिथ्या तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गर्ज से व बिना किसी वाद कारण के हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो काबिली खारिजी है

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.2 की उचरण (IV) में वर्णित कथन असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही होने के कारण व प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कथन कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में पूर्व से आवागमन हेतू प.न. 28/288 (3) के किला न.1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुद्दा रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण सुविधा की दृष्टि से उक्त याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है व उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 3 बिन्द्रासिंह की अ[illegible]न प्रकार है यह कि प्रार्थना पत्र के शीर्षक में वर्णित पता सिविल प्र[illegible] के अनुसार नही होने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना प[illegible] प्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। शेष कथन असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है, क्योकि प्रार्थी स. 1 की उपचरण क [illegible]र्णित कृषि भूमि प.न. 28/288 (3) के किला न. 2, 9, 12, 19, 22 व प. न. 28/289 (10) के किला न. 9, 12, 19, 22 कुल 2.977 हैक. एवं उक्त दफा की उपचरण ख प्रार्थी स. 2 व 3 की वर्णित कृषि भूमि प.न. 28/288 (3) के किला न.3, 8, 13, 18, 23 व प.न. 28/289 (10) के किला न. 10, 11, 20, 21 की कुल 2.277 हैक. कृषि भूमि में आवागमन हेतू प. न. 28/288 (3) के किला न. 1 ता 5 में उत्तर की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर स्वीकृतशुद्बा रास्ता है जो आगे जाकर मुख्य सड़क में मिलता है और उक्त स्वीकृतशुद्बा रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहे है लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 द्वारा परस्पर दुर्भिसंधि करते हुए मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गर्ज से व रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता नही होने के पश्चात् भी अप्रार्थी स.1 से जरिये ईकरारनामा खरीदशुद्बा कृषि भूमि प. न. 26/289(8) के किला न. 25 की कुल 0.253 हैक. कृषि भूमि से अप्रार्थी स. 1 को केवल मात्र सुविधाजनक दृष्टिगत हेतू अप्रार्थी की कृषि भूमि प.न.26/289 (8) के किला न. 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है, जो विधिविरूद्ध होने के कारण व पूर्व से ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि को मंजूरशुद्बा रास्ता होने के पश्चात् भी मिथ्या तथ्यों के आधार पर रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिजी है। उक्त दफा की उपचरण(II) में अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि दफा 2 की उपचरण (III) में वर्णित कथन प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 द्वारा परस्पर दुर्भिसंधि करते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर व लालच के वशीभूत होकर मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी जीतसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए मिथ्या तथ्यों के आध र पर प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिजी है। इस सम्बंध में यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी जीतसिंह द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी स. 1 ने अपने सहखातेदार कशमीरसिंह पुत्र सुखदेवसिह के साथ मिलकर उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स. 1 की वर्णित कृषि भूमि चक 9 एलजीडब्ल्यु के प.न. 28/288 व 28/289 की कृषि भूमि में आवागमन हेतू प.न. 28/288 के किला न. 1 ता 5 की उतरी तरफ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू पूर्व में एक प्रार्थना पत्र बअनवान जीतसिंह बनाम जगराजसिंह आदि प्रकरण स. 11/2015 प्रस्तुत किया था। जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2018 को प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 9 एलजीडब्ल्यु के प.न. 28/288 के किला न. 1 ता 5 प्रत्येक में 1–1 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये थे । उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी जगराजसिंह द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 09.05.2019 को रिमाण्ड कर दिया उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी जीतसिंह द्वारा माननीय रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर में अपील प्रस्तुत की जो विचाराधिन है, इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतू विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण विचाराधिन होने के पश्चात भी प्रार्थी जीतसिंह द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर व बिना कोई वाद कारण के हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है जो काबिली खारिजी है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतू अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो प.न. 29/290 के किला न. 21 ता 25 में सड़क आम है जिसके किला न. 11, 20, 21 के पश्चिम सींव की तरफ उतर से दक्षिण व उसके प.न. 28/290 के किला न. 10 ता 15 की दक्षिणी सींव से होते पूर्व से पश्चिम की ओर व उसके पश्चात किला न. 1 व 10 में पश्चिम सींव में उतर से दक्षिण होते हुए प. न. 28/289 के किला न. 21 के स्वीकृतशुदा रास्ता में जाकर मिलता है और उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहे है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता के सम्बंध में तहसीलदार राजस्व से मंगवाई गई मोका रिपोर्ट जो तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा दिनांक 29.09.2023 को पत्रावली में प्रस्तुत की गई थी उसके बिन्दू स. 2 में भी यह विवरण अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि घरेलू रास्ता बनाकर काश्त की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पास पूर्व मे ही अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के पश्चात् मिथ्या तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गर्ज से बिना किसी वाद कारण के हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो काबिले खारिजी है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.न. 28/288 (3) के किला न. 1 ता 5 में पूर्व से ही स्वीकृतशुदा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और उक्त रास्ता पीलीबंगा – गोलूवाला मुख्य पक्की सड़क से जाकर मिलता है। इस कारण प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतू रास्ता उपलब्ध होने के पश्चात् भी अप्रार्थी स. 1 के साथ दुर्भिसंधि कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है, रास्ता के सम्बंध में तहसीलदार पीलीबंगा से मौका रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.2 की उचरण (IV) में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने कारण अस्वीकार है। प्रार्थी जीतसिंह द्वारा चक 9 एलजीडब्ल्यु के प.न. 26/289 (8) के किला न. 25/1, 25/2 की कुल 0.253 हैक. कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृति हेतू उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रार्थी जीतसिंह व अप्रार्थी स. 1 कशमीरसिंह द्वारा दुर्भीसंधि करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि प्रश्नगत कृषि भूमि में से प्रार्थीगण जीतसिंह आदि द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव नही है, क्योकि अप्रार्थी स. 1 कशमीरसिंह द्वारा प.न. 26/289 (8) किला न. 25/1, 25/2 कुल 0.253 हैक. कृषि भूमि को विक्रय करने का सौदा दिनांक 12.06.2023 को रोबरू गवाहान मिन प्रार्थी के पक्ष में किया गया है तथा उसी रोज कृषि भूमि का कब्जा व उसमें बना मकान मिन प्रार्थी को सौंप दिया था व उसी रोज से मिन प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि व मकान पर काबिज है। लेकिन उसके पश्चात विक्रय अनुबंध दिनांक 12.06.2023 में वर्णित शर्तो के अनुसार अप्रार्थी स. 1 कशमीरसिंह प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 17.08.2023 को बैयनामा करवाने से इन्कार हो गया। तब प्रार्थी द्वारा विक्रय अनुबंध की पालना बाबत् एक वाद पत्र बअनवानी बिन्द्रसिंह बनाम कशमीरसिंह सिविल न्यायाधीश, पीलीबंगा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2023 को प्रश्नगत कृषि भूमि चक 9 एलजीडब्ल्यु के प.न. 26/289 (8) किला न. 25/1, 25/2 कुल 0.253 हैक. के सम्बध में मौका व रिकार्ड की यथस्थिति व उसमें बने मकान के सम्बंध में यथास्थिति का अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जीतसिंह आदि व अप्रार्थी स. 1 कशमीरसिंह द्वारा दुर्भीसंधि करते हुए व प्रार्थी को नुकसान पहुचाने की गर्ज से प्रस्तुत किया गया है। यहां यह कहना भी प्रासंगिक है कि प्रार्थी जीतसिंह ने जानबुझकर रजिंशवश मन अप्रार्थी के बने मकान में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है। जिससे मिन अप्रार्थी के सिविल अधिकारों का हनन हो रहा है ऐसे मामलो को सुनने की अधि कारीता सिविल कोर्ट मे निहित है माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण में उत्पन्न हुए सिविल अधिकारों की सुनवाई का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी को मिन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही होने के कारण व प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कथन कानूनी है। अतिरिक्त कथन – यह कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में पूर्व से आवागमन हेतू प. न. 28/288 (3) के किला न. 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुद्वा रास्ता है जो रास्ता पीलीबंगा से गोलूवाला को जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से जुडा हुआ होने के कारण प्रार्थीगण सुविधा की दृष्टि से उक्त याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है व उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। उक्त रास्ता के सम्बंध में तहसीलदार पीलीबंगा से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते की कृषि भूमि का इकरारनामा मिन अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है उक्त ईकरारनामा का वाद सिविल न्यायालय पीलीबंगा में विचाराधिन है।

उक्त वाद में मिन अप्रार्थी स.3 व अप्रार्थी स. 1 के स्वामीत्व को तय किया जाना है उक्त परस्थितियो के चलते जब तक माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वाद का अन्तिम निर्णय नही किया जाता तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में पूर्व से आवागमन हेतू प. न. 28/288 (3) के किला न. 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुद्वा रास्ता है जो रास्ता पीलीबंगा से गोलूवाला को जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से जुडा हुआ होने के कारण प्रार्थीगण सुविधा की दृष्टि से उक्त याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है व उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 135 दिनांक 29.09.2023 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार – प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में से घरेलू रास्ता बनाकर कृषि की जा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता ही निकट दूरी का मंजूरशुदा रास्ता है। प.न. 27/289 (9) कि.न. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता चल रहा है। प्रार्थी के पास चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि को नहीं लगता है। नजरी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम मंजूरशुदा रास्ते से लघुतम दूरी तथा सुविधाजनक है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता निकटतम दूरी का नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते में अप्रार्थी द्वारा पक्का मकान निर्मित है जो प्रार्थी द्वारा आवेदन के पश्चात निर्माण किया गया है तथा खाले पर पुलिया बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते में अवरोध (निर्माण) होने के कारण अन्य वैकल्पिक रास्ता 27/289 (12) कि.न. 1 (जिसमें दो खाले पर पुलिया व एक पेड़ को हटाकर) में है।

आदेश

प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता एसबी सीवील रिट पेटिशन न. 8709/2025 विन्दर सिंह बनाम कश्मीर सिंह आदि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत होना बताये जाने पर माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा में प्रकरण रखा गया था दिनांक 23.12.2025 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एसबी सीवील रिट पेटिशन न. 19266/2025 आदेश दिनांक 25.11.2025 की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि हस्तगत प्रकरण संख्या 75/2023 की सुनवाई कर तीन माह में निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाने पर बहस अधिवक्ता उभ्य पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा चक 9 एल. जी. डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा के पत्थर नंबर 26/289 (8) के किला नंबर 25 में दक्षिणी–पूर्वी कोना पर 16½–16½ फीट अर्थात् 0.0025 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत रास्ते की एवज में प्रार्थीगण डीएलसी की दूगना राशि प्रतिकर के रूप में खजाना राज में जमा करवायें।

उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में प्रतिकर राशि जमा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद **मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आदेश के बाद भी यदि अप्रार्थीगण द्वारा कोई अवरोध/निर्माण है तो हटवाया जाकर रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30/01/26 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा